NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(L A W D I V I S I O N)
FARIDKOT HOUSE
COPERNICUS MARG, NEW DELHI - 110 001

Dated 07/11/2008

Case No. 660/33/14/07-08

17 NOV 2008

To

T. R. KHUNTE CHAIRMAN
SATNAM WELFARE AND GURU GHANSI DAS
AWAKENING TRUST, G-234 A, SCTOR-22, NOIDA
GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH.

Sir/Madam,

With reference to your complaint dated 17/01/2008, I am directed to say that the matter was considered by the Commission on 04/11/2008. The Commission has made the following directions.

This is in continuation of the earlier proceedings of the Commission.

After perusing the report the Commission, vide proceedings dated 13.8.2008, directed that a copy of the report be transmitted to the complainant for comments, if any, within four weeks. Accordingly, a copy of the report was transmitted to the complainant but no response has been received so far. Since the comments of the complainant have not been received, the Commission assumes that the complainant has nothing further to urge in the matter.

Hence, the report submitted by SP, Raipur is taken on record and the case is closed.

This is for your information.

Yours faithfully,

ASSISTANT REGISTRAR(LAW)

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक / पु0मु0 / पुमनि / अजाक / निस / / 08 रायपुर, दिनांक / 10 / 08

प्रति,

श्री अमरचंद,
अवर सचिव,
भारत सरकार, (गृह विभाग)
9th फ्लोर, लोक नायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

विषयः– ग्राम बोड़सरा बाड़ा में घटित घटना के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरका, गृह मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क0 15011 / 14 / 2008 Legal Cell दिनांक 09 सितम्बर 2008

———000———

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आवेदक टी0आर0खूंटे चेयरमेन "SWAGAT" सतनाम वेलफेयर एण्ड गुरू घासीदार अवेकनिंग ट्रस्ट नोएडा द्वारा ग्राम बोडसरा के सतनामी समाज पर कथित पुलिस अत्याचार के विरूद्ध शिकायत का जांचप्रतिवेदन पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर से प्राप्त किया गया। जांच पर पाये गए तथ्य निम्नानुसार हैः–

(1) प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा यह आरोप लगाना कि बोड़सरा बाड़ा में पुलिस द्वारा स्थानीय सतनामियों पर अत्याचार किया गया, न केवल असत्य एवं भ्रामक है, वरन् अतिरंजित भी है। घटना की पृष्ठभूमि वर्ष 2002 से तैयार की गई जिसमें सतनामी समाज के सर्वोच्च गुरू श्री आस्करन दास द्वारा दिनांक 20 / 8 / 02 को बोड़सरा में समाज प्रमुखों की बैठक ली गई और निर्णय लिया गया कि बाजपेयी परिवार का बाड़ा जो बालकदास गुरू बाबा की कर्मभूमि है, जिसे हर हालत में मुक्त कराना है। इसी तारतम्य में गुरू आस्करन के नेतृत्व में दिनांक 18 / 12 / 02 से 31 / 12 / 02 तक भंडारपुरी से तेलासीधाम तक प्रचार यात्रा कर समाज के लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया एवं दिनांक 12 / 1 / 03 को बोड़सरा में अधिक से अधिक सतनामी समाज के लोगों को एकत्रित करने हेु प्रचार–प्रसार किया गया। इस प्रकार का आंदोलन तब से लगातार चला आ रहा है। आवेदक द्वारा जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह दिनांक 12 / 4 / 08 की है।

(2) सतनामी समाज द्वारा किए गए आव्हान से भयभीत होकर बाजपेयी बाड़ा के वारिसों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक रिट पिटिशन क0 02 / 2003 लगाई गई जिसमें न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि अधिकारियों को तत्काल एवं पर्याप्त कार्यवाही किसी भी अप्रत्याशित घटनाकम के लिए लेनी चाहिए एवं याचिका कर्ताओं एवं उनकी संपत्ति को किसी भी अतिकमण या खतरे से रोकना चाहिए। न्यायालयीन आदेश से यह स्पष्ट हैं कि इसमें स्थानीय अधिकारी द्वारा हर संभव यह प्रयास किये जाने की बाध्यता है जिससे कथित रूप से विवादास्पद बाजपेयी बाड़ा को किसी भी के द्वारा बलात अतिकमण से बचाया जा सके।

(3) दिनांक 10 से 12 अप्रैल 2008 तक 03 दिवसीय सतनाम मेला बोड़सरा में आयोजित किया गया था, जिसमें सतनाम पंथ के तथाकथित गुरू बालदास के नेतृत्व में 12 / 4 / 08

को लगभग 5000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए जो बाजपेयी बाड़ा में जैतखंभ गाड़ने संबंधी आव्हान कर बाजपेयी बाड़ा को कब्जा करने संबंधी प्रचार एवं प्रयत्न कर रहे थे। यह भीड़ लाठी, तब्बल,भाला,तलवार जैसे घातक हथियार लेकर उपस्थित थी। कार्यपालिक दंडाधिकारी बिलासपुर ने अपने आदेश दिनांक 11/4/08 के माध्यम से बोड़सरा बाड़ा में उक्त मेला के दौरान धारा 144 लागू करते हुए 500 मीटर की परिधि में दिनांक 12/4/08 को प्रातः 7 बजे से 13/4/08 की रात्रि 9 बजे तक क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र बंदूक, भाला, रांड, तलवार, बरछी, नुकीले एवं धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित किया गया था। पुलिस द्वारा धैर्य रखते हुए सतनामी समाज को जैतखंभ में झंडारोहण एवं पूजा निर्बाध रूप से संपन्न कराई गई। जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश द्वारा हर संभव प्रयास शांति बनाये रखने का किया गया परंतु श्री बालदास के उकसाने पर भीड़ द्वारा लगाये गए बेरीकेट्स तोड़कर पथराव एवं धारदार हथियार एवं डंडो से आक्रमण करने लगी। कार्यपालिक दंडाधिकारी ने इस भीड़ को विधि विरूद्ध घोषित किया एवं स्थिति को और अधिक गंभीर बनने से रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग कराया गया।

(4) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12/4/08 को गुरू बालदास के नेतृत्व में आई लगभग 5000 की भीड़ लाठी, तब्बल, फरसा, दंडा जैसे घातक हथियारों से लैस थी, जिनके द्वारा बाजपेयी बाड़ा में घुसने का प्रयत्न किया गया। तत्का0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री प्रदीप गुप्ता के उपर बलवाइयों द्वारा तलवार से हमला किया गया, जिनके हाथ की अंगुलियों और पैर के अंगूठे में चोट आई, इसके अलावा तत्का0 अति0 पुलिस अधीक्षक श्री बी0एन0मीणा के हाथ में चोट आई। अति0 दंडाधिकारी श्री धनंजय देवांगन एवं श्री पी0एस0एल्मा व अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री संजय अग्रवाल के सिर में फरसा एवं तलवार से प्रहार किया गया, हेलमेट लगा होने के कारण उनकी सुरक्षा हुई। पुलिस के लगभग 25 जवान एवं अधिकारी घायल हुए। उग्र भीड़ द्वारा रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। भागती हुई भीड़ द्वारा एक पुलिस वाहन में आगजनी एवं निजी कार को जला दिया गया, फायर ब्रिगेड को क्षतिग्रस्त किया गया व मीडिया कर्मी की एक मोटर सायकल को क्षतिग्रस्त किया गया। घायल बलवाईयों एवं पुलिस बल के सदस्यों को चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया। इस संबंध में लिए गए फोटोग्राफ्स संलग्न है।

तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि आरोप भ्रामक, असत्य, अतिरंजित एवं विद्वेष पैदा करने वाले है। पुलिस द्वारा प्रेत्येक कार्यवाही वैधानिक परिधि के अंदर दंडाधिकारी के आदेश पर की गई है। प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

संलग्नः—मूल शिकायत पत्र एवं फोटोग्राफ्स—29 पन्ने।

(विश्वरंजन)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

क0/पुमु/पुमनि/अजाक/निस/2090-A/08 रायपुर दिनांक 31/10/08

प्रतिलिपिः— 1/आवेदक श्री टी0आर0 खूंटे, चेयरमेन, स्वागत सतनाम कल्याण एवं गुरू घासीदास चेतना संस्थान, जी— 234—ए सेक्टर—22, नोएडा— 201301 को सूचनार्थ।

(विश्वरंजन)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़